

दिनांक
हुक्म

कार्यवाही

3/11/22

पंचायती राज सुझावों वाली एवं वकील वाली दोनों
अनुपासित । न्यायालय सभ में वक्ता - वक्ता
कर तीन तरफों आवाज पुकारवाई गई, लेकिन
कोई उपो नहीं हुआ। पंचायत का आलापन
कि या वकील वाली को उत्तरे गण की राशि 10
तलवी पेश करने हेतु प्राप्त अवसर एवं दिनांक
14.3.22 को अनिश्चित अवसर प्रधान करने पर
भी तलवी नोटिस पेश नहीं किए गए हैं ना ही
कारणों से अवसर कराया है। न्यायालय आदेश
को अवसर ~~के~~ आदेश - 9 दिनांक 3.11.22
से अवसर करने उचित समझा है। अतः आदेश
वारी गण अवसर कि या जाता है। पंचायती
कारणों से अवसर होकर वकील वक्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड